



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/2018/IAIP/DAIP/2019/01/597

दिनांक : 03.08.2018

कार्यालय आदेश

विद्या-परिषद के अनुमोदन के आलोक में विश्वविद्यालय के संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल (IAIP) द्वारा तैयार सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी संबंधी प्रारूपों को अधिसूचना क्रमांक 019/2019/भा.विद्या./18 (पार्ट-1)/395 दिनांक 02.05.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

अध्यक्ष, संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल के निर्देशानुसार **शोध पत्र/परियोजना/अन्य प्रकाशन संबंधी सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी विषयक घोषणा पत्र (प्रारूप-IV)** के बिंदु क्रमांक 03 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है -

- उपर्युक्त शीर्षक शोध-पत्र/परियोजना/(प्रकाशन का अन्य प्रकार लिखें*) अब तक अन्य प्रयोजन हेतु प्रकाशित नहीं है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कृष्ण कुमार सिंह)

संलग्नक : शोध पत्र/परियोजना/अन्य प्रकाशन संबंधी सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी विषयक घोषणा पत्र का संशोधित प्रारूप-IV

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

- कुलपति कार्यालय।
- कुलसचिव कार्यालय।
- सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी।
- परीक्षा विभाग।
- प्रभारी, अकादमिक विभाग।
- पुस्तकालयाध्यक्ष।
- सहायक कुलसचिव (स्थापना एवं प्रशासन)।
- लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- कार्यालय प्रति।